

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
::कार्यालय आदेश::

का0आ0-15 / बि0स0से0-20-08 / 2016 सा0प्र0...15.6...../पटना-15, दिनांक...23.05.2017

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685, दिनांक 25.06.2003, 1802 दिनांक 23.03.2006 तथा संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) का संकल्प ज्ञापांक-390 दिनांक 31.01.2007 तथा संकल्प ज्ञापांक-7043, दिनांक 31.10.2008 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित तिथि से पुनरीक्षित वेतन बैण्ड-रू0 15600-39100/- + ग्रेड वेतन-रू0 6600/- में तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/वरीयता क्रमांक/विभाग का नाम	तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि
1	2	3
1	श्री अजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, 2556 23.01.1962 / 31.01.2022 अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग।	14.08.2016
2	श्री देवानन्द सिन्हा, सेवानिवृत्त, प्रशाखा पदाधिकारी, (2487) 02.01.1957 / 31.01.2017 अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण आयोग।	13.08.2016
3	श्री मंगलेश्वर सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, 2554 26.02.1960 / 28.02.2020 पुलिस महानिदेशक का कार्यालय।	14.08.2016
4	श्री रवीन्द्र नाथ उपाध्याय, अवर सचिव, 2353 04.01.1958 / 31.01.2018 स्वास्थ्य विभाग	21.02.2016
5	श्री सर्वेन्दु कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, 2517 10.07.1962 / 31.07.2022 नगर विकास एवं आवास विभाग।	14.08.2016
6	श्री सतेन्द्र कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, 2499 01.09.1957 / 31.08.2017 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	19.08.2016
7	श्री विवेक कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, 2467 21.12.1960 / 31.12.2020 पथ निर्माण विभाग।	12.08.2016
8	श्री संजय अग्रवाल, प्रशाखा पदाधिकारी, 2471 26.02.1962 / 28.02.2022 पथ निर्माण विभाग	01.09.2016

9	श्री शत्रुघ्न सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, 2543 28.01.1961 / 31.01.2021 पथ निर्माण विभाग।	19.08.2016
10	श्री सुभाष कुमार श्रीवास्तव, प्रशाखा पदाधिकारी, 2502 06.06.1962 / 30.06.2022 गृह विभाग (विशेष शाखा)	14.08.2016
11	श्री शालिग्राम पाण्डेय, प्रशाखा पदाधिकारी, 2472 20.05.962 / 31.05.2022 सामान्य प्रशासन विभाग	13.08.2016
12	श्री सतीश कुमार तिवारी, प्रशाखा पदाधिकारी, 2492 09.03.1963 / 31.03.2023 सामान्य प्रशासन विभाग	10.09.2016
13	श्री मो0 मुर्तजा, प्रशाखा पदाधिकारी, 2645 31.12.1963 / 31.12.2023 सामान्य प्रशासन विभाग	01.09.2016
14	श्री शरत कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी, 2496 01.01.1957 / 31.12.2016 संसदीय कार्य विभाग	16.08.2016
15	श्री रणधीर कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, 2505 17.07.1957 / 31.07.2017 बिहार कर्मचारी चयन आयोग।	05.09.2016
16	श्रीमती सरोज कुमारी सिन्हा, प्रशाखा पदाधिकारी, 2490 31.01.1958 / 31.01.2018 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग। सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग।	21.08.2016
17	श्री अजीत कुमार पाठक, प्रशाखा पदाधिकारी, 2506 28.01.1959 / 31.01.2019 भवन निर्माण विभाग।	18.08.2016
18	श्री तपन कुमार घोष, प्रशाखा पदाधिकारी, 2500 04.09.1959 / 30.09.2019 भवन निर्माण विभाग	13.08.2016
19	श्री अजय कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, 2542 31.01.1960 / 31.01.2020 वित्त विभाग।	13.08.2016
20	श्री निताई चन्द्र दास, प्रशाखा पदाधिकारी, 2491 02.07.1959 / 31.07.2019 वित्त विभाग।	20.08.2016
21	श्री शत्रुघ्न लाल दास, प्रशाखा पदाधिकारी, 2465 13.09.1958 / 30.09.2018 वित्त विभाग।	25.08.2016


22	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, 2595 10.05.1957 / 31.05.2017 वित्त विभाग	23.08.2016
23	श्रीमती इन्दुबाला, प्रशाखा पदाधिकारी, 2429 21.02.1961 / 28.02.2021 भवन निर्माण विभाग।	24.02.2016
24	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, 2484 09.01.1961 / 31.01.2021 लघु जल संसाधन विभाग।	14.08.2016
25	श्री कृष्णानन्द, प्रशाखा पदाधिकारी, 2551 21.09.1957 / 30.09.2017 बिहार भूमि न्यायाधिकरण	10.09.2016
26	श्री शिवजी प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी, 2600 04.01.1959 / 31.01.2019 पथ निर्माण विभाग	20.08.2016
27	श्री सतीश नारायण सिंह, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी, 2509 20.11.1956 / 30.11.2016 कृषि विभाग	05.09.2016
28	श्री मदन सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, 2539 01.12.1957 / 30.11.2017 भवन निर्माण विभाग	23.08.2016
29	श्री गौरी शंकर लाल दास, प्रशाखा पदाधिकारी, 2521 01.08.1957 / 31.07.2017 भवन निर्माण विभाग	01.10.2016

2. सहायक संयुक्त सम्वर्ग के गठन के बाद उनके प्रशासी विभाग द्वारा की गयी सेवा सम्पुष्टि नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लेगे और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवा सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जाय।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 566 दिनांक 18.10.1995 निर्गत किये जाने के पश्चात सहायक संयुक्त सम्वर्ग के कर्मियों को उनके तत्कालीन प्रशासी विभाग द्वारा परीक्षा से विमुक्ति प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लेगे और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग से विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी उक्त आदेश की सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा।

4. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) ए (I) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका 12 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

5. उपर्युक्त के आलोक में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त एम0 ए0 सी0 पी0 के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।




(एम0एस0अंसारी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-20-08/2016सा0प्र0.156...../पटना-15, दिनांक.23.05.2017

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-20-08/2016सा0प्र0.156...../पटना-15, दिनांक.23.05.2017

प्रतिलिपि :-संबंधित सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त तथा सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।



सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-20-08/2016सा0प्र0.156...../पटना-15, दिनांक.23.05.2017

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ विशेष सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी बिहार सचिवालय सेवा)/अवर सचिव (प्रभारी बिहार सचिवालय सेवा) तथा प्रशाखा पदाधिकारी-15, 16 एवं 17 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव